छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-21

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित एवं 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. अध्यक्षीय निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रश्नकाल में या अन्य अवसरों पर जब सदन में मंत्रिगण प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों, तब माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर ही रहें और यदि उन्हें किसी मंत्री से कोई चर्चा करनी हो तो इस बात का ध्यान रखें

कि इससे प्रश्न का उत्तर देने वाले मंत्री को असुविधा न हो । इस संबंध में माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 248 से 250 का अनुसरण करें ।

4. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

(निरंतर व्यवधान होने से विधान सभा की कार्यवाही 12.13 बजे स्थगित की जाकर 12.42 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :- डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, भीमा मण्डावी, विद्यारतन भसीन एवं रजनीश कुमार सिंह ।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अधीन निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि -आज की कार्य-सूची में 26 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने रायगढ़ शहर में ओ.सी.एल. लिमिटेड द्वारा खनन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने बालोद जिले के खरखरा जलाशय का पानी राजनांदगांव ले जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने खैरागढ़ वन मण्डल क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई तथा अवैध उत्खनन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(4) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य ने राजधानी रायपुर में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त करने वाले महामाया एग्रो एग्जिम के डायरेक्टर के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (26) तक के उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

5. श्री धर्मजीत सिंह
6. श्री धर्मजीत सिंह
7. श्री सौरभ सिंह
8. श्री देवव्रत सिंह
9. सर्वश्री नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, अजय चन्द्राकर,
10. श्री सौरभ सिंह
11. श्री बृहस्पत सिंह
12. श्री धर्मजीत सिंह
13. श्री धनेन्द्र साहू
14. सर्वश्री दीपक बैज, मोहन मरकाम
15. श्री शिशुपाल सोरी
16. श्री अरूण वोरा
17. श्री रेखचंद जैन
18. श्री रामकुमार यादव
19. श्री गुलाब कमरो
20. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह
21. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल
22. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक
23. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, भीमा मंडावी
24. श्री देवव्रत सिंह
25. श्री रजनीश कुमार सिंह

26. श्री केशव प्रसाद चंद्रा

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री यू.डी.मिंज
(2) श्रीमती इन्दू बंजारे
(3) श्री मोहन मरकाम
(4) श्री प्रमोद कुमार शर्मा
(5) श्री शिवरतन शर्मा
(6) श्री भीमा मण्डावी
(7) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
(8) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
(9) श्री कुंवर सिंह निषाद
(10) श्रीमती ममता चन्द्राकर
(11) श्री अमितेश शुक्ल
(12) श्री अजय चन्द्राकर
(13) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
(14) श्री अजीत जोगी
(15) श्री धरमलाल कौशिक
(16) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(17) श्री अरूण वोरा
(18) श्री अजय चन्द्राकर

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चक्रधर सिंह सिदार

(2) श्री मोहित राम

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने 30 मिनट का समय निर्धारित किया है ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया,नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, धर्मजीत सिंह, शैलेष पाण्डेय, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह,

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, शैलेष पाण्डेय, देवेन्द्र यादव, धरमलाल कौशिक-नेता प्रतिपक्ष ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया,नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने उत्तर दिया ।

विचारों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती संगीता सिन्हा,

11. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि लालजीत सिंह राठिया जी को कैबिनेट मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है, चूंकि यह शासकीय कार्य चल रहा है तो क्या कैबिनेट मंत्री/राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति शासकीय कार्यों में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता ?

सभापति महोदय ने कथन किया कि दर्जा प्राप्त व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार है।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य(क्रमश:)

सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, प्रकाश शक्राजीत नायक,

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने खण्ड 2 में संशोधन प्रस्तुत किया कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के खंड 2 में उपधारा (6) में शब्द तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति के स्थान पर शब्द कुलाधिपति की अनुशंसा तथा शब्द राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी के स्थान पर कुलपति शैक्षणिक क्षेत्र का हो तथा उसे विश्वविद्यालय पद्धति में कम से कम 10 वर्ष के प्राध्यापक का अनुभव हो, स्थापित किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन पर चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन्2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

13. अशासकीय संकल्प

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदन की सहमति से अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिये जायेंगे।

14. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए क्रमश: नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि चारों समितियों के लिए क्रमश: नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना हैं, अत: निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों हेतु वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा करने के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

लोक लेखा समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री मनोज सिंह मण्डावी
3. श्री मोहन मरकाम
4. श्री शैलेश पाण्डे
5. श्री धनेंद्र साहू
6. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
7. डॉ. विनय जायसवाल
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री अजय चन्द्राकर

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्राक्कलन समिति

1. श्री शिशुपाल सोरी
2. श्री मनोज सिंह मंडावी
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह
5. श्री देवेन्द्र यादव
6. श्री आशीष कुमार छाबड़ा

7. श्री चंदन कश्यप
8. श्री पुन्नूलाल मोहले
9. श्री रजनीश कुमार सिंह

श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री शिशुपाल सोरी
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
3. श्री रामकुमार यादव
4. श्री दीपक बैज
5. श्री विकास उपाध्याय
6. श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा
7. डॉ. प्रीतम राम
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री नारायण चंदेल

श्री दीपक बैज, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
5. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
6. श्री विक्रम मण्डावी
7. श्री यू.डी. मिंज
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अत: मैं, निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति हेतु वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा करने के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
2. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
3. श्री बृहस्पत सिंह
4. श्री अमरजीत भगत
5. श्री द्वारिकाधीश यादव
6. श्रीमती ममता चन्द्राकर
7. श्री कुंवर सिंह निषाद
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
9. श्री भीमा मण्डावी

श्री अमरजीत भगत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

16. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि- विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-ग, 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2018-19 की शेष अवधि तथा वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा करने के लिए नियुक्त करता हूं :-

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री यू.डी.मिंज
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री द्वारिकाधीश यादव
5. डॉ. विनय जायसवाल
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री विद्यारतन भसीन

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

याचिका समिति

1. श्री अरूण वोरा
2. श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर
3. श्री कुलदीप जुनेजा
4. श्रीमती अंबिका सिंहदेव
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
7. श्री सौरभ सिंह

श्री अरूण वोरा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री पारसनाथ राजवाड़े
3. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्री कुंवर सिंह निषाद
6. श्री पुन्नूलाल मोहले

7. श्री देवव्रत सिंह

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री अमरजीत भगत
2. श्री पुरूषोत्तम कंवर
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय
5. सुश्री शकुंतला साहू
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री डमरूधर पुजारी

श्री अमरजीत भगत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री विकास उपाध्याय
3. श्री अरूण वोरा
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री दीपक बैज
6. डॉ. रमन सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

नियम समिति

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री खेलसाय सिंह
4. श्री धरमलाल कौशिक
5. श्री ननकीराम कंवर

अध्यक्ष विधान सभा समिति के पदेन सभापति एवं विधि विधायी कार्य मंत्री पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2. श्री लालजीत सिंह राठिया
3. श्री लखेश्वर बघेल
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री रेखचंद जैन
6. श्री द्वारिकाधीश यादव
7. श्री धर्मजीत सिंह
8. श्री अजय चन्द्राकर
9. श्री शिवरतन शर्मा

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पुस्तकालय समिति

1. श्री दीपक बैज
2. श्री देवेन्द्र यादव
3. श्री शैलेश पाण्डेय
4. श्रीमती रश्मि आशिष सिंह
5. श्री रामकुमार यादव
6. श्री रजनीश कुमार सिंह
7. श्रीमती इंदू बंजारे
8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

श्री दीपक बैज, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. डॉ. प्रीतम राम
2. श्री चक्रधर सिंह सिदार
3. श्री चिंतामणी महाराज
4. श्री विनय भगत

5. श्री मोहित राम
6. श्री ननकीराम कंवर
7. श्री भीमा मण्डावी

डॉ. प्रीतम राम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री संतराम नेताम
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री गुलाब कमरो
4. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
5. श्री पारसनाथ राजवाड़े
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री शिवरतन शर्मा

श्री संतराम नेताम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री किस्मत लाल नंद
2. श्री अनूप नाग
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्री इंदर शाह मंडावी
5. श्री चंदन कश्यप
6. डॉ. रमन सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

17. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं

निम्नानुसार सदस्यों को महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2018-2019 की शेष अवधि व 2019-2020 एवं 2020-2021 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
2. श्री लालजीत सिंह राठिया
3. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
4. सुश्री शकुंतला साहू
5. श्रीमती ममता चन्द्राकर
6. श्रीमती अंबिका सिंहदेव
7. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

18. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप-नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की अवधि की सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री अमरजीत भगत
8. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
9. श्री अजय चन्द्राकर
10. श्री मनोज सिंह मंडावी
11. श्री अरूण वोरा

12. श्री मोहन मरकाम
13. श्री दीपक बैज
18. डॉ. प्रीतम राम
19. श्री संतराम नेताम
20. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
21. श्री धर्मजीत सिंह
22. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे ।

19. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

01. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय संस्कृति मंत्री, श्री ताम्रध्वज साहू के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 08 जनवरी, 2019 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

02. माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा एवं ननकीराम कंवर द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 11 फरवरी, 2019 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

20. सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सदस्यगण, पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र के समापन के अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सर्वप्रथम सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के नेता माननीय कौशिक जी को और आप सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

पंचम विधान सभा के गठन के उपरान्त यह सत्र 04 जनवरी से 08 मार्च तक निरन्तरता में आहूत था और सहमति से आज 01 मार्च को आहूत सत्र की समाप्ति का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 21 बैठकों में 108 घंटे 37 मिनट की चर्चा हुई।

दिनांक 8 फरवरी 2019 को नवगठित सरकार ने अपना प्रथम बजट सदन में रखा तथा दिनांक 9 फरवरी और 10 फरवरी को पंचम विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिये प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश और प्रदेश के ख्यातिलब्ध संसद्विदों ने आपको मार्गदर्शन दिया। प्रबोधन कार्यक्रम में पहली बार निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ सदस्यों ने भी भाग लिया, यह आप सबकी संसदीय ज्ञान वृद्धि में अभिरूचि को दर्शाता है और आपके सीखने की यही ललक आपको एक कुशल जनप्रतिनिधि बनायेगी ऐसा मेरा विश्वास है ।

वैसे तो यह सत्र पंचम विधानसभा का प्रथम सत्र था बावजूद इसके आप सभी की सक्रिय सहभागिता से यह बिल्कुल महसूस नही हुआ कि यह प्रथम सत्र है। आप लोगों के परस्पर सौहार्द्र से यह सदन गौरवान्वित हुआ है आप सभी माननीय सदस्यगणों को इसके लिये मैं हृदय से बधाई देता हूं।

इस प्रथम सत्र की सदन की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि चर्चा के विभिन्न माध्यम प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से आप माननीय सदस्यगणों ने विस्तृत सार्थक चर्चा की। दिनांक 15 फरवरी 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित ट्राईबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी द्वारा पूछे गये प्रश्न क्रमांक 36 एवं दिनांक 20 फरवरी 2019 को माननीय सदस्य श्री शैलेष पाण्डेय द्वारा बिलासपुर अण्डर ग्राउण्ड सीवरेज के संबंध में पूछे गये प्रश्न क्रमांक 1024 पर आधे घंटे की चर्चा हुई, वहीं दिनांक 28 फरवरी 2019 को माननीय सदस्या श्रीमती अंबिका सिंहदेव द्वारा कोरिया जिले में हाथी के आतंक के विषय में रखे गये ध्यानाकर्षण क्रमांक 382 की गंभीरता एवं तात्कालिक महत्व को देखते हुए प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपा गया है। उपरोक्त बातों का उल्लेख करने का आशय यह है कि मेरा पूरा प्रयास है कि आपके द्वारा लोकहित के विषयों पर की जा रही चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित न रहे अपितु वह परिणाममूलक भी बनें।

यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा । प्रथम सत्र में ही आप माननीय सदस्यों ने राज्य के विकास और उन्नति से जुड़े प्रत्येक विषय पर चर्चा के विभिन्न माध्यमों से सार्थक और सम्यक चर्चा की मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है उससे प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास के लिये मार्गदर्शी सिद्ध होंगे और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की कल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक होंगे।

इस अवसर पर आप माननीय सदस्यगणों से मेरा यह अनुरोध है कि आप सदन में परस्पर आरोप-प्रत्यारोप से स्वयं को बचाने का प्रयास करें क्योंकि इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है मैं यह मानता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि सदन की गरिमा से ही हम सबका सम्मान जुड़ा हुआ है इसलिये आप सभी सदन की गरिमा और सम्मान के लिये सदैव सजग और समर्पित रहें।

पंचम विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की संख्या भले ही कम है परंतु प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने अपनी वरिष्ठता और अनुभव से सदन में रहकर सजग प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है, इस हेतु माननीय नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यगणों को मैं बधाई देता हूँ तथा पक्ष के माननीय सदस्यगणों की भी विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने अपनी ही सरकार के माननीय मंत्री गणों से जिस तैयारी के साथ सवाल पूछे और जवाब चाहा वह आपके लिये एक कुशल जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण है इसलिये मैं पक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों विशेषकर नव-निर्वाचित सदस्यों की सराहना करता हूं।

हमारी यह पंचम विधानसभा संसदीय मूल्यों के विकास के लिये आप सबके सहयोग से अनेक नवाचारों को मूर्त रूप देने में सफल रही है। मेरी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिये यह प्रथम अवसर था जब महिला बाल विकास विभाग की चर्चा पर पक्ष-प्रतिपक्ष की केवल महिला माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। सदन का यह निर्णय मातृशक्ति के प्रति सम्मान के भावों को प्रदर्शित करता है।

आप माननीय सदस्यगणों से यह अपेक्षा है कि इस सत्र के उपरांत जब आगामी सत्र आहूत हो तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि संसदीय शासन व्यवस्था में विरोध का तो स्थान है परंतु अवरोध के लिये कोई जगह नहीं है असहमति के बीच सहमति को तलाशना ही लोकतंत्र की विशेषता है।

इस सत्र में दिनांक 21 फरवरी 2019 को मायाराम सुरजन फाउण्डेशन द्वारा स्वास्थ्य प्रथम विषय पर सारगर्भित परामर्श कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विषय से संबद्ध विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया।

इस सत्र में दिनांक 26 से 28 फरवरी के मध्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं स्वाइन फ्लू टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, आप सब इससे लाभान्वित हुए, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को उनकी इस पहल के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संबंध में संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र की कुल 21 बैठकों में लगभग 108 घंटे 37 मिनट चर्चा हुई। कुल 15 प्रश्नकाल में 158 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 10.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 1136 एवं अतारांकित प्रश्नों की 943 सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 2079 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 456 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 120 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 29 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में स्थगन की कुल 89 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 85 अग्राह्य रही

तथा 4 ध्यानाकर्षण में परिवर्तित की गई । शून्यकाल की 118 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 101 सूचनाएं ग्राह्य और 20 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 163 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 37 ग्राह्य व 125 अग्राह्य और 1 याचिका विचाराधीन रही। 20 अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 10 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 04 घंटे 48 मिनट, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा में 10 घंटे 40 मिनट, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में 06 घंटे 44 मिनट, वर्ष 2019-20 के बजट की अनुदान मांगों पर 41 घंटे 36 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 04 घंटे 36 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को भिज्ञ कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक संस्थाओं के 2216 एवं जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 22484 लोगों ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। रायपुर दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित किए जाने की परंपरा रही है। तद्नुसार आगामी सत्र जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में संभावित है, आप सभी को रंगोत्सव, होली पर्व 2019 की शुभकामनाएं । कामना करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुख-सफलता, समृद्धि के रंगों से सदैव रंगा रहे । आपके माध्यम से ही प्रदेश के समस्त नागरिकगणों को भी मैं आने वाले होली पर्व की सादर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आइये, हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किये ।

21. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

सायं 4.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा